(iv) *Regularisation of Continuous Service of Daily Rated Employees :* The demand for the regularisation of continuous service of the daily rated employees is under consideration of the Andaman and Nicobar Administration. However, the benefit of continuity in service and leave as admissible to the Industrial workers, have already been given to such daily rated mazdoors.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में किया गया अनुसंधान कार्य

9941. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**
श्री तारिक अनवर :

क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोई भी विशेष अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो मुख्य तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है जिससे इन प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य बिना हस्तक्षेप के सुचारू रूप से चल सके ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स व पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी.एन. सिंह): (क) और (ख). सी एस आई आर के संस्थान/प्रयोगशालाएं गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से विज्ञान की विविध शाखाओं में आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करते रहे हैं और कर रहे हैं। सी एस आई आर की प्रयोगशालाओं में अपने कार्यक्षेत्रों में समुचित क्षमताएं और आधारभूत संरचना विकसित कर ली हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण सफलताओं का श्रेय उन्हें प्राप्त है यथा राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोआ, द्वारा बहुधात्विक नाड्यूलों को हिन्दमहासागर के तल से बाहर लाना ; कोशिकीय और आणविक जीव-विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद में शुक्रीय प्लाज्यिन पर कार्य, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा एक नई सन्धिशोथ रोधी औषधि ट्रोमैरिल का प्रवेश, भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कलकत्ता में लेक्टिनों पर कार्य ; राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में विंका रोजिया से विलब्लास्टिन और विंक्रिस्टीन का उत्पादन ; क्षे अ प्र, जोरहाट और क्षे अप्र, हैदराबाद, में किए कार्य से नाशकमारों की निर्माण जानकारी, सी एस आई आर की प्रयोगशालाओं के योगदान का विवरण, सी एस आई आर के वार्षिक प्रतिवेदनों, जो सदन के पटल पर हैं, में दिया गया है। वर्ष 1978-79 और 1979-80 के प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर 29-4-81 को रखे गये थे।

(ग) सी एस आई आर की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान परियोजनाएं उसकी अनुसंधान परामर्श परिषद् में की गई वार्ता के आधार पर हाथ में ली जाती हैं। इस परिषद् का सभापतित्व उस क्षेत्र के एक वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है जो देश प्रसिद्ध वैज्ञानिक होता है और सी एस आई आर का नहीं होता। इसके लिए सी एस आई आर के मुख्यालय के साथ तथा सरकार के उपयोगकर्ता तत्वों व औद्योगिक क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया द्वारा किया

जाता है। प्रयोगशाला का निदेशक जो उसकी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है, का यह उत्तरदायित्व है कि कार्य सी एस आई आर द्वारा बताए गए राष्ट्रीय लक्ष्य, प्राथमिकताओं और दिशा-निदेशों के अनुरूप किया जाए। सी एस आई आर की प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

Meeting of Indo-Pak Friendship Association held in office of Gandhi Peace Foundation

9942. SHRI B. R. NAHATA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Indo-Pak Friendship Association was held on the 10th February, 1981 in the office of Gandhi Peace Foundation and whether someone was elected as convenor in that meeting ;

(b) if so, the name of the person so elected ;

(c) whether any decision to constitute an Indo-Pak Study Group under the auspices of Gandhi Peace Foundation was taken in that meeting; and

(d) whether Gandhi Peace Foundation and Indo-Pak Friendship Association are two interconnected bodies and if so, what are their functions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) to (d). According to the information received from the Delhi Administration the Indo-Pak Conciliation Group was formed in 1962 in Delhi. Shri Radha Krishna (Secretary, Gandhi Peace Foundation) was also a member of this Organisation. This Organisation had become inactive after the 1965 Indo-Pak war. However, latest inquiries indicate that it is being revived, though the name is not still decided. Shri Radha Krishna, Secretary, Gandhi Peace Foundation and some other persons are reported to have met and discussed the possibility of forming the Indo-Pak Study Group under the auspices of the Gandhi Peace Foundation.

Amendment to Minimum Wages Act

9943. SHRI ZAINUL BASHER: Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government are considering to amend Minimum Wages Act to include the Handloom and Powerloom workers under the purview of the said Act ;

(b) if so, when the Amending Bill is proposed to be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) to (c). Under Minimum Wages Act, 1948, State Governments are the 'appropriate Government' to fix the minimum wages in Handloom and Powerloom industries. All the State Governments have been requested to prescribe minimum wages in respect of as many employments as possible by making addition to the schedule to the Minimum Wages Act as suggested by the Labour Ministers' Conference held in July, 1980. According to the available information many States have already included handloom and powerloom industries in the schedule to the Minimum Wages Act thereby bringing them within the purview of the Act and they have also prescribed the Minimum Wages.

There is no need for an amendment of the Act.